# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

## भू–वापसी अपील वाद संख्या–63/2021

## किशोर महतो बनाम् महेन्द्र मुण्डा

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 23.12.2022 | इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी किशोर महतो, पिता–साहेब राम महतो, निवास ग्राम–न्यू मार्केट, रोड नं०–1, पतरातू, पो०–पतरातू, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–03/2017–18 महेन्द्र मुण्डा बनाम् किशोर महतो में दिनांक–31.08.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–कोतो थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के खाता सं०–07 प्लॉट न०–412 रकवा–0.45 ए० मध्ये रकवा–0.15 ए० भूमि से संबंधित है।<br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।<br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा कोतो, थाना –पतरातू के खाता न०–07 प्लॉट न०–412 रकवा–0.45 ए० मध्ये रकवा 0.15 ए० भूमि खतियान में बकास्त दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि मौजा–कोतो, के खाता न०–07 खतियान में बकास्त दर्ज है। विपक्षी ग्राम–कोतो का स्थानीय निवासी नहीं है। जबकी C.N.T. Act-1908 की धारा–46(4-A) के अनुसार रैयत को संबंधित ग्राम का Occupancy रैयत होना अनिवार्य है। मौजा–कोतो के खाता सं०–07, बकास्त भूमि खेवटदार बालक मानकी खेवटदार संख्या–2/4 दर्ज है। खेवटदार ने उक्त भूमि मदन गोपाल प्रसाद पिता–नागेश्वर साव को बदोबस्त कर दिये तत्पश्चात मदन गोपाल प्रसाद ने केवाला सं०–486, दिनांक–29.01.1986 से भूमि महिपाल सिंह, पिता–बुलाकी सिंह को बिक्रय कर दिये। महिपाल सिंह ने केवाला सं०–2307, दिनांक–29.07.2013 से अपीलार्थी को खाता सं०–07, प्लॉट नं०–412, रकवा–0.15 ए० भूमि बिक्रय कर दिये। जिसे अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–471/2013–14 से अपीलार्थी के नाम दाखिल | |

खारिज कर रसीद निर्गत किया गया। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के पारित आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि आदिवासी खाते की है, एवं आदिवासी की जमाबंदी कायम है। गैर आदिवासी के द्वारा अवैध रूप से आदिवासी भूमि को कब्जा किये है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन है। उन्होनें अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किये है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया जिसमें अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि मौजा–कोतो के खाता सं०–07 प्लॉट न०–412 रकवा–0.45 ए० मध्ये रकवा–0.15 ए० भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। इस वाद में विपक्षी का खतियानी रैयत से संबंध पर नाना खेवटदार बालक मानकी है। बालक मानकी खेवट संख्या–2/4 खेवटदार चालु पंजी–II के पृष्ठ संख्या–46/I में ग्राम–कोतो खाता संख्या–07/02 बकस्त खाते में जमाबंदी रैयत सुरजन मुण्डा पिता–खेरिया मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है। रसीद की आधार पर कायम है। कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी की जमाबंदी दाखिल खारिज के केश संख्या–471/2013–14 के आदेशानुसार पंजी–II में 85/III पर कायम है। रसीद निर्गत हो रहा है। अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि प्लॉट नं०–412, विपक्षी के दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी–II नहीं है। चूँकि प्रश्नगत भूमि बकास्त खाते की भूमि है। उक्त भूमि की जमाबंदी आदिवासी रैयत के नाम कैसे खुली स्पष्ट नहीं है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा अपीलार्थी के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए हैं। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाय।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने द्वारा समर्पित आवेदन, प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने तथा अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौजा–कोतो थाना–पतरातू, जिला–रामगढ के खाता सं०–07 प्लॉट न०–412 रकवा–0.45 ए० मध्ये रकवा–0.15 ए० सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। बालक मानकी खेवट संख्या–2/4 खेवटदार चालु पंजी–II के पृष्ठ संख्या–46/I में ग्राम–कोतो के खाता संख्या–07/02 प्लॉट सं०–5, 54, 56, 268, 302, 303, 391, 405, 410, 77, 144, 169, 181,. 185, 195, 266, 267, रकवा बिक्री के पश्चात 6.86 ए० भूमि है। रैयत सुरजन मुण्डा, पिता–खेरिया मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है का रसीद वर्ष–2014–15 तक निर्गत है आवेदक के दादा सुरजन मुण्डा के नाम पंजी–II किस आधार पर कायम है। कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी की जमाबंदी दाखिल खारिज वाद सं०–471/2013–14 के आदेशानुसार पंजी–II के पृष्ठ संख्या–85/III पर कायम है। अपीलार्थी का केवाला सं०–2307, दिनांक–29.07.2013 से बिक्रेता महिपाल सिंह, पिता–स्व० बुलाकी सिंह हाल मुकाम बलकुदरा थाना–पतरातू

जिला–रामगढ़ का ही इनका जमाबंदी ग्राम–कोतो के पृष्ठ संख्या–163/II में अनेक खाता संख्या–07 रकवा–7.01 ए० भूमि कायम है। उन्होने भूमि मदन गोपाल प्रसाद पिता–नागेश्वर साव से दिनांक–29.01.1966 से केवाला से खरीदी है। आवेदक दिनांक–29.01.1966, 31 वर्षो से एवं 27.07.2013 से 35 वर्षो से बेदखल है। प्रथम पक्ष महेन्द्र मुण्डा के दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–46/I पर जमाबंदी कैसे कायम हुआ, कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत नही किया है। प्लॉट न०–412 उनके दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी–II नही है। चूँकि भूमि बकास्त खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के अंतर्गत प्लॉट न०–412 दर्ज नही है एवं जमाबंदी रैयत के द्वारा बकास्त खाते की जमाबंदी कैसे खुली कागजात नही प्रस्तुत कर पाये। चूँकि भूमि आदिवासी खाते की है एवं आदिवासी खाते की भूमि 1966 में गैर आदिवासी को हस्तांतरण हुआ। अर्थात् अपीलार्थी द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं किया गया है की भू–वापसी की कार्रवाई की जाय अथवा नही। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–03/2017–18 महेन्द्र मुण्डा बनाम् किशोर महतो में दिनांक–31.08.2021 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए प्रश्नगत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को पुनिरिक्षण हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। एवं निदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, पतरातू से भू–वापसी का प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ प्राप्त करते हुए पुनः सुनवाई करते हुए आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
23.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
23.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2022.12.28 11:56:44 +05:30
Location: 192.168.0.20